कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/2192/एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 25 मार्च 2020

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 24 मार्च, 2020 के अनुसार आगामी 21 दिवस के लिए टोटल लॉक डाउन किया गया है। इस कार्यालय के आदेश 2177/एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी दिनांक 23 मार्च, 2020 में अंशिक संशोधन करते हुए 21 दिवस के लॉक डाउन अवधि के दौरान प्रतिबंध में निम्नानुसार शिथिलता रहेगी –

1. थोक फल, सब्जी मण्डी केवल पासधारी थोक फल–सब्जी व्यापारियों के लिए प्रतिदिन प्रातः 07 से 08 बजे तक खुली रहेगी।
    - थोक सब्जी व्यापारी अपने माल वाहक वाहन हेतु पास अपने–अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व से प्राप्त करेगें, पास अधिकतम 20 माल वाहक को ही जारी किए जावेगें।
2. लॉक डाउन अवधि में अनाज, किराना व्यापारी, आटा चक्की दिनांक 26.03.2020 में समय सुबह 10 से सायं 08 बजे तक अपने प्रतिष्ठान खोल सकेगें।
    - इस सम्बंध में आमजनता से अपील है कि वे अपने निकटतम प्रतिष्ठान से ही खरीदी करें ।
    - प्रत्येक दो दिवस के अन्तराल के पश्चात तीसरे दिन दिनांक 29.03.2020, 01.04.2020, 04.04.2020, 07.04.2020, 10.04.2020, 13.04.2020 को भी वस्तुस्थिति का परीक्षण कर आम जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अनुमति जारी की जावेगी, जिसकी विस्तृत सूचना पृथक से की जावेगी।
3. हाथठेला सब्जी व्यापारी प्रतिदिन प्रातः 08 बजे से दोपहर 02 बजे तक मोहल्ले–मोहल्ले जाकर सब्जी, फल का विक्रय कर सकेगा। उक्त सब्जी व्यापारी साथ में दूध के पैकेट भी रखेगें।
    - हाथठेला सब्जी व्यापारी को पास जारी किए जाने की कार्यवाही सम्बंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारियों/जनपद पंचायत मुख्यालय पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा की जावेगी, साथ ही पास क्षेत्रवार दिया जावेगा जिससे सभी स्थानों पर सब्जियॉ पहॅुच सके।
    - हाथठेला को दूध के पैकेट उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था प्रभारी उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ सिवनी रहेगें जिसके सहायक प्रभारी दुग्ध संघ बण्डोल रहेगें।
    - हाथठेला फुटकर सब्जी विक्रेता प्रतिदिन निर्धारित समय पर थोक सब्जी मंडी से सब्जी ले सकेगे।
    - हाथठेला फुटकर विक्रेता किसी भी स्थिति में अधिक कीमतों पर विक्रय नहीं करेगें।
4. 21 दिवस के लॉक डाउन अवधि के दौरान निम्नानुसार पूर्णतः प्रतिबंध से मुक्त रहेगें –
    - पास धारी शासकीय कर्मचारी ।
    - समस्त शासकीय/निजी माल वाहक वाहन (खाली/भरा)
    - पास धारी दवाई दुकान संचालक या उनके डिलेवरी बॉय
    - शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य कर्मी (अपना आई कार्ड धारण करने पर)
    - सफाई कर्मचारी (अपना आई कार्ड धारण करने पर)
    - पास धारी सब्जी, फल विक्रेता, होम डिलेवरी वाले किराना/राशन दुकान (अपने–अपने निर्धारित समय हेतु)
    - अति आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित शासकीय व्यक्ति/कर्मचारी
        - वाहनों के सम्बंध में स्पष्ट किया जाता है कि दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन पर मात्र दो व्यक्ति ही परिवहन करेगें ।
        - फुटकर दुग्ध विक्रेता इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगें।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 25 मार्च, 2020 को जारी किया गया।

(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी

2192A

पृ. क्रमांक/ 2192A /एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 25 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला सिवनी की ओर भेजकर लिखा जाता है कि, संलग्न आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त थाना प्रभारियों को उपलब्ध कराते हुए आदेश/निर्देशों का सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिवनी/बरघाट/केवलारी/लखनादौन/घंसौर/कुरई
5. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला सिवनी
6. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सिवनी/बरघाट/लखनादौन
7. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सिवनी
8. सर्व थाना/चौकी प्रभारी, जिला सिवनी को पुलिस अधीक्षक सिवनी के माध्यम से पालनार्थ, आपके थाना क्षेत्रांतर्गत आदेश का अक्षरशः पालन हेतु।
9. सहायक संचालक, जनसंपर्क, सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी